संख्या:80/1585जे/22-3-14-318एचआरसी/2012

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 21 नवम्बर, 2014***

विषय: केन्द्रीय कारागार, वाराणसी के सिद्धदोष बंदी आरिफ उर्फ मुन्ना पुत्र श्री इस्लाम खॉन की दिनांक 18-12-2012 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के निर्देश संख्या-43723/24/72/2012-जेसीडी, दिनांक 16-09-2014 के अनुपालन में मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों/उत्तराधिकारियों को रू0-1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) के मुआवजे की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-31771/मा0अनु0(1)/342-2012, दिनांक 30-10-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी के सिद्धदोष बंदी आरिफ उर्फ मुन्ना पुत्र श्री इस्लाम खॉन, निवासी-ग्राम-पीरबटावन, थाना-कोतवाली, जनपद-लखनऊ की दिनांक 18-12-2012 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली की संस्तुति दिनांक 16-09-2014 के अनुपालन में मृतक बंदी के निकटस्थ उत्तराधिकारियों/आश्रितों को मुआवजा के रूप में रू0-1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) की धनराशि के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष-2014-15 में इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि मुआवजे के समतुल्य धनराशि प्रकरण में दोषी पायें गये अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूलकर राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

2- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-"2056-जेलें-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार के मानक मद्-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा तथा उपलब्ध प्राविधान से वहन किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का भुगतान/उपयोग मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा केस में पारित आदेश दिनांक 16-09-2014 में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

4- प्रश्नगत प्रकरण में वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा जहां आवश्यक हो वहॉ सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

---2

http://shasanadesh.up.nic.in

5- महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ (उ0प्र0) के माध्यम से यथाशीघ्र सम्बन्धित को कराते हुए उसकी पुष्टिकृत सूचना मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/शासन को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

6- यह आदेश वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गयी सहमति संख्या-यू0ओ0-ए-2-145/दस-2014, दिनांक 23-06-2014 के अनुक्रम में गृह (मानवाधिकार) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1399/छः-मा0-1-14-21(विविध)/13, दिनांक 26-06-2014 के परिप्रेक्ष्य में जारी किए जा रहें है।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

<u>संख्या:80/1585जे(1)/22-3-14-उक्तदिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ/वरिष्ठ अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, वाराणसी को मृतक बंदी के निकटस्थ परिजनों का चिन्हीकरण कराने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान कराने व भुगतान का साक्ष्य/पुष्टिकृत सूचना मा0 आयोग/शासन को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु।
3. मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।
4. कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4
5. उप सचिव, गृह (मानवाधिकार) अनुभाग-1 को उनके पत्रांक-122आईआरएन/छः-मा0-1-14-2(7)/2014, दिनांक 17-10-2014 के संदर्भ में।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in